"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मई 2006—वैशाख 19, शक 1928

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2006

अधिसूचना

क्रमांक 433/एफ-1 (10)/05/48/सं.का.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-ख के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (क क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

:: नियम ::

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम,2006 है ।

(2) ये नियम, 15 फरवरी 2005 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे,

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम,1972 (कमांक 7 सन् 1973)

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप

(ग) "सचिव" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विधान सभा का सचिव और उसके अन्तर्गत आता है, विधान सभा का कोई अन्य अधिकारी, जो अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

3. कुटुम्ब पेंशन प्रदान करना :— (क) प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम, की धारा 6—ख के अधीन पेंशन का हकदार हो, सचिव को, इन नियमों से संलग्न प्ररूप—क में आवेदन करेगा, आवेदन के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नवीनतम् फोटोग्राफ की तीन प्रतियां तथा तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर) संलग्न किये जाएंगे,

(ख) प्रत्येक सदस्य प्ररूप "क क" में संलग्न कुटुम्ब के सदस्यों की घोषणा/नामांकन प्रस्तुत करेगा जो अधिनियम की धारा 6 (ख) के अधीन कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे ।

(ग) कुटुम्ब पेंशन हेतु निम्नानुसार हकदार होंगे :—

प्रथमतः — पति/पत्नी

द्वितीय — यदि पति/पत्नी जीवित न हो तो पुत्र या अविवाहित पुत्री जो 25 वर्ष से कम उम्र के हो ।

तृतीय – यदि जीवित पति/पत्नी या पुत्र या अविवाहित पुत्री 25 वर्ष से कम उम्र की न हो तो माता/पिता या विवाहिता पुत्री या विधवा/तलाकशुदा पुत्री पुर्नविवाह तक या पच्चीस वर्ष की आयु तक, जो पूर्णतः भूतपूर्व सदस्य पर आश्रित हो, एवं आय का अन्य स्त्रोत् न हो ।

(घ) ये नियम केवल उन भूतपूर्व सदस्य के परिवार के सदस्यों को लागू होंगे जिनका निधन इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात हुआ हो ।

4. पेंशन की मंजूरी :– (1) सचिव, आवेदन की अंतर्वस्तुओं को सत्यापित करेगा या सत्यापित करवायेगा और उसका यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक, अधिनियम की धारा 6–ख के अधीन पेंशन के लिए हकदार है, प्ररूप–ग में पेंशन मंजूर करने का आदेश, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए जारी करेगा :–

(क) अधिनियम की धारा 6–ख के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति का नाम,

(ख) पेंशन की रकम,

(ग) वह तारीख जिससे, ऐसा व्यक्ति पेंशन के लिए हकदार होगा,

(घ) वह खजाना, जिसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा ।

(2) पेंशन मंजूर करने के आदेश की एक प्रति महालेखाकार, छत्तीसगढ़ को अग्रेषित की जाएगी ।

5. पेंशन भुगतान आदेश :– (1) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर, उस कोषालय के, जिसके माध्यम से पेंशन संवितरित की जानी हो, कोषाधिकारी को प्ररूप "ख" में पेंशन भुगतान आदेश, आवेदक को सूचना के अधीन जारी करेगा।

(2) कोषालय द्वारा पेंशन का भुगतान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप "घ" में जारी किए गए प्रमाण पत्र को पेश करने के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए "सक्षम प्राधिकारी" जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय या राज्य सरकार का कोई प्रथम श्रेणी अधिकारी या संसद अथवा छत्तीसगढ़ विधान सभा का कोई आसीन सदस्य या छत्तीसगढ़ ट्रेजरी कोड जिल्द एक के नियम 363 में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी होगा ।

(3) अधिनियम की धारा 6–ख के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी को निरर्हित करने वाली किसी घटना के घटित होने पर पेंशनभोगी, सचिव, महालेखाकार, जिसने पेंशन भुगतान आदेश जारी किया हो, तथा संबंधित कोषाधिकारी को घटना की सूचना तत्काल देगा ।

प्रारूप — क क
नियम — 3
(कुटुम्ब पेंशन हेतु नामांकन)

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के निम्नलिखित सदस्य मुझ पर आश्रित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

स.क.	पूर्ण नाम	आयु	संबंध	टिप्पणी
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

घोषणा

मैं यह घोषित करता हूं कि "छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन, नियम,2005" के अधीन ऊपर दिये गये कम से, जो मुझ पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, और इनके आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है, कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे ।

सदस्य/भूतपूर्व सदस्य का नाम —
छ.ग./पूर्ववर्ती म.प्र.—

प्ररूप "क"
(नियम 3 देखिए)
कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन
(छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम,1972 की धारा 6-ख देखिए)

प्रेषक :-

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

....

....

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम,1972 (क्र.7, सन् 1973) के अधीन कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... ने तारीख .... से .... तक छत्तीसगढ़ विधान सभा 1 नवंबर,2000 के पहले म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र .... क्रमांक .... का प्रतिनिधित्व किया । छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य की उक्त अवधि के दौरान मृत्यु होने के कारण ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 6-ख के अधीन कृपया मुझे कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने की कार्यवाई की जाए तथा मैं कुटुम्ब पेंशन .... स्थित सरकारी कोषालय से लेना चाहता हूं/चाहती हूं ।

(2) मैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी/संसद या छत्तीसगढ़ विधान सभा के किसी आसीन सदस्य द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता हूं/करती हूं :-

(एक) अधोहस्ताक्षरी के तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर),
(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां,
(तीन) मृत्यु प्रमाण पत्र,
(चार) अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र,
(पांच) नातेदारी प्रमाण पत्र,

(3) (क) मेरा वर्तमान पता .... है ।

(ख) मेरा स्थायी पता .... है ।

(4) मैं, एतद्द्वारा, यह घोषित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है ।

भवदीय,

स्थान : ....

दिनांक : ....

विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़
लेखा शाखा

कमांक /वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन तारीख / /200

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्ररूप "ख"
(नियम 5 (1) देखिए)
कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़

क्रमांक/.......................... तारीख / /200

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... ने छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में .... से .... तक सेवा की थी, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण ऊपर वर्णित कुटुम्ब पेंशन का भुगतान रूपये .... प्रतिमास उसकी मृत्यु की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के लिए उसके वारिस श्री/श्रीमती/कुमारी .... को अनुज्ञेय है ।

....
लेखा अधिकारी

प्ररूप "ग"
(नियम 4 देखिए)
विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़

क्र. ..../वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन तारीख / /200

श्री/श्रीमती/कुमारी .... की तारीख .... से .... तारीख तक रूपये .... (रूपये .... केवल) प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है । पेंशन .... कोषालय से देय होगी ।

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर को अग्रेषित ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्ररूप "घ"
(नियम 5 (2) देखिए)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... श्री/श्रीमती/कुमारी .... (विधान सभा के पूर्व सदस्य) के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/माता/पिता है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील ....

तारीख ....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. **श्रीवास्तव**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2006

क्रमांक 434/एफ-1 (10)/05/48/सं.का.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Raipur, the 9th May 2006

NOTIFICATION

No. 433/F-1 (10)/05/48/P.A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (aaa) of sub-section (2) of Section 9 read with Section 6-B of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadsya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) the State Government hereby makes the following Rules, namely :—

RULE

1. **Short title and commencement: (1) These rules may be called the Chhattisgarh Legislative Assembly Members Family Pension Rules, 2006.**

   (2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from 15th Feb. 2005.

2. **Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires:-**

   (a) "Act" means the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadsya Vetan Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No.7 of 1973),

   (b) "Form" means form appended to these rules;

   (c) "Secretary" means the Secretary of the Chhattisgarh Legislative Assembly and includes any other officer of the Vidhan Sabha as may be authorised by the speaker for the purposes of these rules.

3. **Grant of Family Pension:-(a) Every person, who is entitled to pension under Section 6-B of the Act shall make an application to the Secretary, in Form-A appended to these rules. The application shall be accompanied by three copies of the latest photograph and three specimen signature duly attested by a Gazetted Officer.**

(b) Every member shall submit nomination/declaration of the Family members/dependent in Form 'AA' who may be entitled for Family Pension under section 6(b) of the Act.

(c) Entitlement of Family Pension shall be as under:-

Firstly: Spouse,

Secondly: If spouse not alive then son or unmarried daughter less than age of twenty five years,

Thirdly: If there is no living spouse or son or unmarried daughter of less than twenty five years of the age then mother /father or married daughter or widow/ divorced daughter till re-marriage, or upto the age of twenty five years fully dependent on ex-member having no other source of income.

(d) These rules shall be applicable to the Family members of the Ex-member who died after the enforcement of these rules.

4. Sanction of Pension:- (1) The Secretary shall verify or cause to be verified the contents of the application and on his being satisfied that applicant is entitled to pension under section 6-B of the Act, issue an order sanctioning the pension in Form-C specifying therein;-

(a) The name of the person entitled to pension under section 6-B of the Act;

(b) The amount of pension;

(c) The date with effect from which such person shall be entitled to pension;

(d) The treasury through which the payment shall be made.

(2) A copy of the order-sanctioning pension shall be forwarded to the Accountant General, Chhattisgarh.

5. **Pension payment Order:- (1) The Accountant General, Chhattisgarh shall on receipt of the sanction order, issue Pension Payment Order in Form-B to the Treasury Officer of the Treasury through which the pension is to be disbursed under intimation to the applicant.**

(2) **Payment of pension by Treasury will be subject to the production of Certificate issued by a competent authority in Form-D.**

Explanation:- For the purpose of this rule "the competent authority" shall be a First Class Magistrate or a Class-I Officer of the Central or State Government or a sitting Member of Parliament or Chhattisgarh Legislative Assembly or any other officer referred to in rule-363 of the Chhattisgarh Treasury Code Vol.I.

(3) Immediately on the occurrence of any event disqualifying the pensioner to receive pension under section 6-B of the Act the pensioner shall intimate the event to the Secretary, the Accountant General who issued the pension payment Order and the Treasury Officer concerned.

Form ~~aa~~ AA

(See Rule 3)
(Nomination for family pension)

I hereby declear that the members of my family who are dependent upon me, as detail given below :-

S.No	Full Name	Age	Relation	Remark
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Declaration

I hereby declare that as per serial given above who fully dependent upon me and their is no other source of income shall be entitled for family pension under "chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Kuttumb pension, Niyam, 2005".

Name of member / Ex-member
Chhattisgarh / Preceding Madhya Pradesh

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, CHHATTISGARH
ACCOUNTS SECTION

No........../V.S. / Sadasya Lekha / pension/ Dated...........2005

Forwarded to Office of the Accounts officer (P. R. I), Account and General (Accounts and entitlement) Second, Chhattisgarh ,Raipur for further necessary action.

....
Deputy Secretary
Chhattisrarh Legislative Assembly

FORM-B
[See rule 5 (1)]

OFFICE OF THE ACCOUNT AND GENERAL -1
CHHATTISGARH

No................ **Dated................**

Certified that Shri /Smt. /Ku...had served as a Member of Chhattisgarh Legislative Assembly from ....to .... and due to death the above mentioned payment of family pension of Rs. ....per mensem for a period of Tenth Years from the date of his death is admissible to him / her heirs Shri /Smt/Ku. ....

....
Account Officer

FORM-C
(See rule 4)

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, CHHATTISGARH

No. ..../V.S./Sadasya Lekha/Pension/ **Dated................2005**

A Family Pension of Rs. .... (Rupees..only) per mensem is sanctioned to Shri/Smt /ku .... with effect from .... to .... the pension shall be payable at........................ Treasury.

Forwarded to Office of the Accounts Officer (P.R.I) Accountant General (Accounts and entitlement) Second, Chhattisgarh, Lekha Bhavan, Chhattisgarh, Raipur.

Secretary.
Chhattisgarh Legislative Assembly.

FORM 'A'
(See Rule 3)

APPLICATION FOR FAMILY PENSION
(See Section 6-B of the Chhattisgarh vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhinlyam,1972.)

From:

Shri /Smt /KU------------------------

To,

The Secretary,
Chhattisgarh Legislative Assembly,
Raipur.

Sub:- Sanction of the Family pension under the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha pension Adhiniyam, 1972 (No.7 of 1973).

Sir,

With reference to above subject. it is requested that Shri/ Smt./ ku---------------- -------------------- has represented before Ist November 2000 Madhya Pradesh after that Chhattisgarh Vidhan Sabha Constituency -------------------------- No------------ from ------------- to----------- Due to death during the above term of the C.G. Legislative Assembly, kindly action may be taken to sanction family pension to the under Section 6-B of the above referred Act and I desire to draw family pension from the Government Treasury at ....

2. I enclose here with the following documents duly attested by a Ist Class Magistrate/Class 1 officer of the Central Government or a State Government/a sitting Member of parliament/or Chhattisgarh. Legislative Assembly:-

- (i) Three specimen signature of the undersigned.
- (ii) Three copies of latest photograph in passport size.
- (iii) Death Certificate.
- (iv) No objection certificate of other heirs.
- (v) Relationship certificate.

3. (A) My present address is --

(B) My permanent address is --

4. I hereby declare that the above **information is true to best of my** knowledge and belief.

Yours faithfully,

Station --

FORM-D
[See rule 5(2)]

CERTIFICATE

This is to certify that Shri/ Smt./Ku.. is the Husband / Wife. Son /Daughter. Mother / Father of Shri /Smt. / Ku .... (Ex member of Legislative Assembly).

Tahsildar/Nayab Tahsildar.

Dated.................. **Tahsil...............................**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.